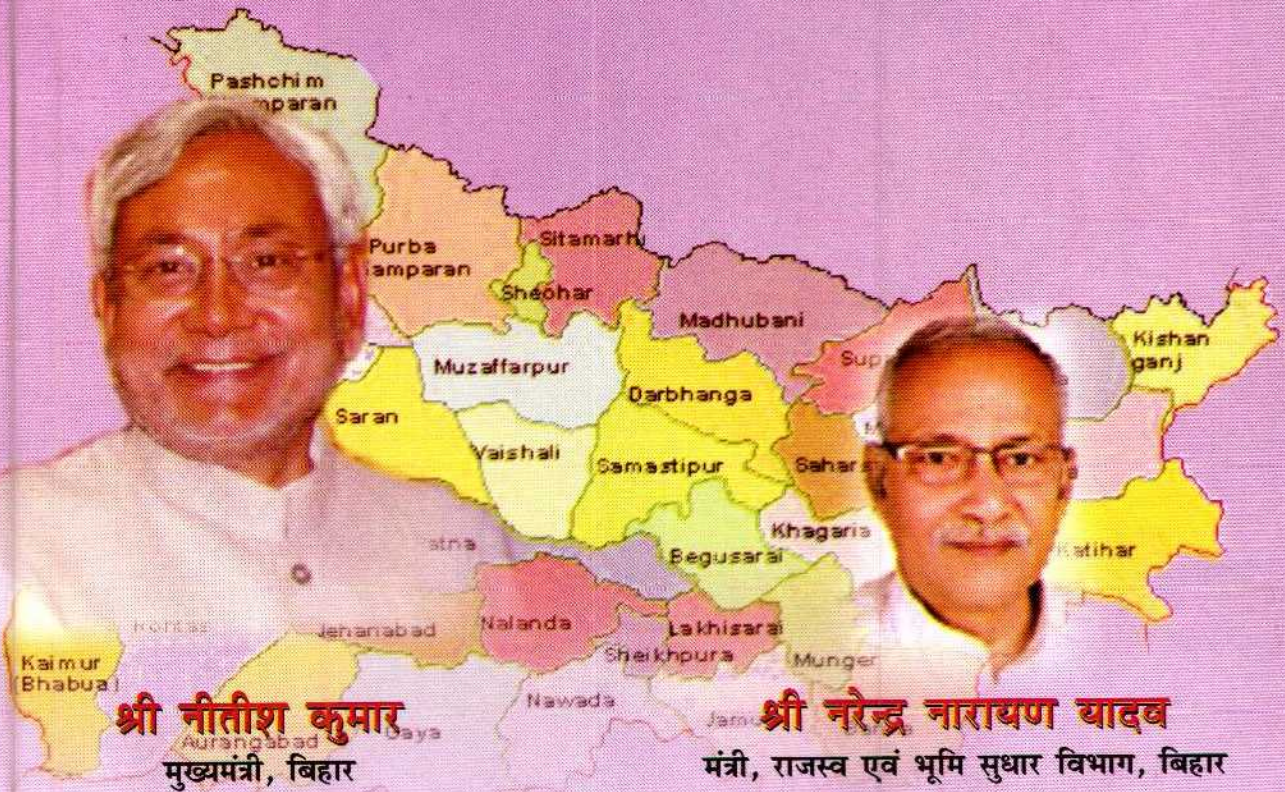




बिहार सरकार

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग



श्री नीतीश कुमार
मुख्यमंत्री, बिहार

श्री नरेन्द्र नारायण यादव
मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार

वर्ष 2015-16

के बजट की मांग संख्या - 40 पर

मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

का

वक्तव्य

वर्ष 2015-16 के बजट की माँग सं०-40 पर

मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

का वक्तव्य

माननीय अध्यक्ष महोदय,

भूमि प्रबंधन की पारदर्शी व्यवस्था, भू-अभिलेखों के नियमानुसार कालबद्ध रूप से निर्माण एवं संधारण तथा सामाजिक एवं आर्थिक रूप से उपेक्षित वर्गों के सदस्यों को आवश्यकतानुसार आवास एवं जीविकोपार्जन हेतु एवं भूमि उपलब्ध कराने तथा बिहार लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम, 2011 के सफल क्रियान्वयन के उद्देश्य से जनता की आकांक्षाओं एवं अपेक्षाओं के अनुरूप राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2015-16 का बजट प्रस्तुत किया जा रहा है।

सुशासन के माध्यम से हमारी सरकार द्वारा समाज के महादलित वर्ग के साथ-साथ अन्य कमजोर वर्ग के लोगों के सम्मानपूर्वक जीवन-यापन करने हेतु संसाधन उपलब्ध कराने के कार्य को प्राथमिकता देते हुए भूमि का सुव्यवस्थित एवं सुदृढ़ प्रबंधन प्रारम्भ कर दिया गया है।

1. महादलित विकास योजना- महादलित विकास योजना के अन्तर्गत वासभूमि रहित महादलित परिवारों को प्रति परिवार 03 डिसमिल वास भूमि उपलब्ध कराने की योजना वित्तीय वर्ष 2009-10 से राज्य में लागू है।

इस योजना के अन्तर्गत सर्वप्रथम वासभूमि रहित महादलित परिवारों को गैरमजरूआ मालिक/खास, गैरमजरूआ आम तथा बी० पी० पी० एच० टी० एक्ट के तहत बन्दोवस्ती द्वारा वासभूमि उपलब्ध करायी जाती है। जिन वासभूमि रहित परिवारों को उपर्युक्त श्रेणी के भूमि से आच्छादित नहीं किया जा सकता है, उन्हें रैयती भूमि के क्रय की नीति के तहत 20000/- रूपए की वित्तीय अधिसीमा के अधीन प्रति परिवार 03 डिसमिल रैयती भूमि क्रय कर वासभूमि उपलब्ध कराया जाता रहा है। परन्तु जमीन के बाजार मूल्य में वृद्धि होने के कारण 20000/- रूप० के मूल्य पर 3 डि० जमीन के क्रय

में हो रही कठिनाईयों को देखते हुए "सरकार द्वारा रैयती भूमि के क्रय के नयी नीति के तहत न्यूनतम प्राक्कलित मूल्य (MVR) के आधार पर रैयती भूमि का क्रय कर वासरहित महादलित परिवारों को वास भूमि उपलब्ध कराने से सम्बन्धित निर्णय लिया गया है।"

महादलित विकास योजना से अभी तक सभी स्त्रोतों से 2,34,185 परिवारों को 7060.83 एकड़ जमीन उपलब्ध करायी गयी है, जिसमें अबतक कुल-87,167 (सत्तासी हजार एक सौ साठसठ) वासरहित महादलित परिवारों को गैरमजरूआ मालिक/खास भूमि बन्दोबस्ती से उपलब्ध करायी गयी है, जिसमें सन्निहित रकबा 2937.89 एकड़ है। इसी प्रकार 44,347 (चौआलीस हजार तीन सौ सैतालीस) वासरहित महादलित परिवार को गैरमजरूआ आम भूमि की बन्दोबस्ती द्वारा वासभूमि उपलब्ध करायी गयी है, जिसमें सन्निहित रकबा 1102.72 एकड़ है।

बी० पी० पी० एच० टी० एक्ट के तहत कुल- 60,207 (साठ हजार दो सौ सात) महादलित परिवारों को वासभूमि उपलब्ध करायी गयी है, जिसमें सन्निहित रकबा 1760.12 एकड़ है।

रैयती भूमि की क्रय नीति, 2010 के अन्तर्गत रैयती भूमि के क्रय हेतु वित्तीय वर्ष 2014-15 में 1961.48/- (एक हजार नौ सौ एकसठ दशमलव चार आठ) लाख रुपए का बजट उपबन्ध है। यह राशि सभी जिलों को अवशेष महादलित परिवार की संख्या के आलोक में आवंटित की गयी है। वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए इस योजनान्तर्गत 2625.10 लाख रुपये मात्र का बजट उपबन्ध प्रस्तावित है। बिहार महादलित विकास योजनान्तर्गत रैयती भूमि क्रय नीति, 2010 के अन्तर्गत अबतक कुल- 42,324 वासरहित महादलित परिवारों को 03 डिसमिल प्रति परिवार के दर से रैयती भूमि क्रय कर वासभूमि उपलब्ध कराई गई है। इसमें कुल सन्निहित रकबा 1255.22 एकड़ भूमि है। अन्य स्त्रोतों से 140 परिवारों को वासभूमि उपलब्ध करायी गयी है। इस प्रकार उक्त सभी श्रोतों से कुल 2,34,185 परिवारों को कुल 7060.83 एकड़ भूमि उपलब्ध करायी गयी है।

अद्यतन सर्वेक्षण के अनुसार राज्य में कुल 9428 (नौ हजार चार सौ आठाईस) वासरहित महादलित परिवार हैं, जिन्हें इस योजना के तहत वासभूमि उपलब्ध कराया जाना शेष है।

सभी स्रोतों से वासरहित महादलित परिवारों को उपलब्ध करायी गयी
वासभूमि से संबंधित विवरणी :

जमीन का स्वरूप (स्रोत)	लक्ष्य	भौतिक उपलब्धि		उपलब्धि का प्रतिशत
		परिवारों की संख्या	बन्दोबस्त भूमि का रकबा (एकड़ में)	
गैरमजरूआ मालिक भूमि	86224	87167	2937.89	101.09
गैरमजरूआ आम भूमि	47963	44347	1102.72	92.46
वासगीत पर्चा	56804	60207	1760.12	105.99
क्रयनीति के अन्तर्गत	52622	42324	1255.22	80.43
अन्य स्रोतों से	0	140	4.88	0
कुल	243613	234185	7060.83	96.13

इस प्रकार कुल 2,43,613 वास भूमि रहित महादलित परिवारों के विरुद्ध कुल 2,34,185 परिवारों को कुल 7060.83 एकड़ जमीन विभिन्न स्रोतों से वास भूमि के रूप में उपलब्ध करायी गयी है, जो लक्ष्य का 96.13 प्रतिशत है। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2009-10 एवं 2011-12 में किये गये सर्वेक्षण के क्रम में कुल 246832 महादलित परिवार वासभूमि रहित पाये जाने से संबंधित प्रतिवेदन विभिन्न जिलों से प्राप्त हुआ लेकिन विभिन्न स्रोतों से वासभूमि उपलब्ध कराने के क्रम में 3219 परिवार वैसे पाये गये जिनका नाम सर्वेक्षण सूची में अंकित है, लेकिन उन्हें पूर्व से वासभूमि उपलब्ध होना पाया गया, जिसके कारण वर्तमान में वासभूमि रहित वैसे कुल महादलित परिवारों की संख्या 2,43,613 है जिसके विरुद्ध अभीतक 2,34,185 परिवारों को वासभूमि उपलब्ध करायी गयी है, जो कुल लक्ष्य का 96.13 प्रतिशत है। शेष 9428 परिवारों को जल्द ही वासभूमि उपलब्ध करा दी जायेगी।

2. अभियान बसेरा

सरकार स्तर पर यह महसूस किया गया है कि महादलित के साथ-साथ शेष अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग—। एवं ।। के सभी वास भूमि रहित परिवारों को वास भूमि उपलब्ध कराया जाना आवश्यक है। इसके लिए महादलित विकास योजना/गृहस्थल योजना अन्तर्गत रैयती भूमि की क्रय नीति, 2011/टी0एस0पी0 योजना के अन्तर्गत उपर्युक्त श्रेणी के सभी वास रहित परिवारों के सर्वेक्षण एवं उन्हें वास भूमि उपलब्ध कराने का अभियान प्रारंभ किया गया है। उक्त अभियान का नाम “अभियान बसेरा” रखा गया है। इसमें सभी सुयोग्य श्रेणी के वास भूमि रहित परिवारों को गैर मजरूआ मालिक/गैर मजरूआ आम/ बी0पी0पी0एच0टी0 एक्ट के अन्तर्गत पर्चा देने के उपरांत, शेष बचे परिवारों को क्रय नीति, 2011/महादलित विकास योजना/रैयती भूमि क्रय नीति, 2010/टी0एस0पी0 योजना के अन्तर्गत न्यूनतम बाजार मूल्य दर पर भूमि क्रय कर उपलब्ध कराया जाना है। अबतक विभिन्न सुयोग्य श्रेणियों के कुल 75694 परिवारों का सर्वेक्षण किया जा चुका है। जिनमें 18983 परिवारों को भूमि उपलब्ध कराई जा चुकी है। अभियान बसेरा अन्तर्गत राज्य के सुयोग्य श्रेणी के वास रहित परिवारों में वासभूमि जमीन 5 डी0 तथा कलस्टर (यथा संभव 20 परिवार) में बसाने के संदर्भ में 5 डी0 जमीन प्रति परिवार की दर से (अर्थात् 100 डी0) वास हेतु तथा वास भूमि के अलावा 20 डी0 अतिरिक्त जमीन आंतरिक सड़क एवं सामूदायिक भवन के लिए उपलब्ध कराया जा रहा है।

3. गृहस्थल योजना

राज्य में सुयोग्य श्रेणी यथा अनुसूचित जाति (महादलित को छोड़कर), अनुसूचित जनजाति, पिछड़ी जाति एनेक्सर—। तथा एनेक्सर—।। के वैसे परिवार जिन्हें वासभूमि उपलब्ध नहीं है तथा जिन्हें सरकारी भूमि अथवा बी0 पी0 पी0 एच0 टी0 एक्ट के तहत पर्चा द्वारा वासभूमि उपलब्ध कराना सम्भव नहीं है, के लिये 20000/- रु0 में प्रति 3डी0 जमीन के क्रय में हो रही कठिनाई के कारण न्यूनतम प्राक्कलन मूल्य (MVR) के आधार पर रैयती भूमि क्रय कर उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है। गृह स्थल योजना के अन्तर्गत सुयोग्य श्रेणी के वासभूमि रहित परिवारों के सर्वेक्षण का प्रावधान इसी चालू वित्तीय वर्ष में किया गया तथा सर्वेक्षण हेतु सभी जिलों को कुल—53.40 लाख रुपया का आवंटन उपलब्ध कराया गया है।

100.00 लाख	484	585	92	162
वित्तीय वर्ष 2014-15 में जिलों को आवंटित राशि (लाख रुपये में)	योजनाएं की संख्या	सामक सड़क से जुड़ने वाली टोल ग्राहकों की संख्या	योजनाएं की संख्या	सामक सड़क से जुड़ने वाली टोल ग्राहकों की संख्या
इस योजना के तहत ग्राम की गयी योजनाएं	पूर्व ही गयी योजनाएं			

वित्तीय वर्ष 2014-15 में सामक सड़क योजना-तहत उपलब्धि

उपबंध प्रस्तावित है। मुख्य सड़क से नहीं है, को मुख्य सड़क से जोड़ने हेतु रैयली ग्राम के अग्रज के लिए सामक सड़क योजना-तहत राज्य में वैसे ग्राम/टोल/मोहल्ले जिनका सामक के अन्तर्गत 92 योजनाएं पूर्ण करते हुए 162 ग्राम/टोल/मोहल्ले को सामक सड़क से जोड़ा गया है। वर्तमान वित्तीय वर्ष 2015-16 में कुल 550.00 लाख रुपये का बजट उपबंध प्रस्तावित है।

4. सामक सड़क योजना

इस योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2014-15 में 334.27 लाख रुपये का आवंटन राज्य के जिलों को उपलब्ध कराया गया है। वित्तीय वर्ष 2015-16 में इस योजना-तहत 334.27 लाख रुपये का योजना बजट उपबंध प्रस्तावित है।

श्रेणी	कुल सर्वहित	कुल विवरित	शेष परिवार
BC-I	9478	927	8551
BC-II	5446	529	4917
SC	7474	1045	6429
ST	2003	203	1800
महादलित	51293	16279	35014
Grand Total	75694	18983	56711

निम्नवत है :

अभियान बरोरा के अन्तर्गत सुयोग्य श्रेणी के परिवारों का सर्वेक्षण नवम्बर 2014 से प्रारंभ किया गया है। अब तक 75694 परिवारों को चिन्हित किया जा चुका है जिसमें 18983 परिवारों को वासगुमि उपलब्ध कराया गया है, जिसका कैंटेनरीवार विवरण निम्नवत है :

5 टी0एस0पी0

टी0एस0पी0 (अनुसूचित जनजातियों के लिए) योजनान्तर्गत राज्य में अनुसूचित जनजातियों के लिए गृहस्थल हेतु रैयती भूमि का क्रय कर वास भूमि उपलब्ध कराने की योजना सम्मिलित है। इस योजना के अन्तर्गत राज्य में वित्तीय वर्ष 2014-15 में 130.77 लाख रुपये जिलों को आवंटित किया गया है। वर्तमान वित्तीय वर्ष 2015-16 में ट्राईवल सब प्लान (टी0एस0पी0) योजनान्तर्गत 146.15 लाख रुपये का बजट उपबन्ध प्रस्तावित है।

6. कलस्टर में वासभूमि उपलब्ध कराने का निर्णय

विभागीय अधिसूचना सं0-153(8) दिनांक-09.02.2015 द्वारा राज्य के सुयोग्य श्रेणी के वास रहित परिवारों को वास हेतु 05 डिसमिल जमीन तथा कलस्टर (यथा सम्भव 20 परिवार) में वसाने के संदर्भ में 05 डिसमिल जमीन प्रति परिवार की दर से (अर्थात् 100 डिसमिल) वास हेतु तथा वास भूमि के अलावा 20 डिसमिल अतिरिक्त जमीन आन्तरिक सड़क एवं सामुदायिक भवन के लिए उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में नीति, 2015 लागू की गयी है। भविष्य में सुयोग्य श्रेणी के परिवारों को वासभूमि के रूप में 5 डी0 जमीन प्रति परिवार को विभिन्न स्रोतों से उपलब्ध कराया जायेगा।

7. बिहार राज्य शहरी क्षेत्र अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के वास भूमि रहित परिवारों के लिए वास भूमि नीति, 2014 :

राज्य सरकार द्वारा शहरी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वास भूमि रहित परिवारों को भूमि उपलब्ध कराने हेतु नीति गठित की गयी है। यह नीति देश में किसी राज्य ने पहली बार अपनायी है इसके अनुसार राज्य के शहरी क्षेत्र में वास करने वाले अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के वास भूमि रहित अथवा आवास रहित परिवारों को वास भूमि आवास उपलब्ध कराने हेतु राज्य सरकार के द्वारा बिहार राज्य शहरी क्षेत्र (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वास भूमि रहित परिवारों के लिए) वास भूमि नीति, 2014 गठित किया गया है। इसके अन्तर्गत शहरी क्षेत्रों में वास रहित अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के परिवारों का समय-समय पर राज्य व्यापी सर्वेक्षण किया जायेगा। साथ ही शहरी क्षेत्रों में उपलब्ध वास योग्य गैर मजरूआ मालिक/खास महाल एवं कैसरे हिन्द भूमि (जो राज्य सरकार के दखल में हो) को चिन्हित कर सुयोग्य श्रेणी के परिवारों को भूमि 30 वर्ग मीटर की अधिकतम सीमा तक सत्त लीज पर आवंटित की

जायेगी। शहरी क्षेत्र के कम से कम दस वर्ष या उससे अधिक से निवास कर रहे वैसे परिवार जिनके किसी सदस्य के पास राज्य अथवा राज्य के बाहर अपनी वास भूमि अथवा आवास नहीं हो तथा जो शहरी BPL की सूची में शामिल हो वैसे परिवारों को वासहेतु भूमि उपलब्ध करायी जायेगी। यदि शहरी क्षेत्र में भूमि उपलब्ध नहीं हो पायेगी तो परिवार के सहमति पर निकटतम पंचायत/पंचायतों में 5 डी0 भूमि क्रय कर उपलब्ध करायी जायेगी।

शहरी क्षेत्र के वासरहित अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के परिवारों एवं उन्हें उपलब्ध कराये जाने वाली जमीन का सर्वेक्षण कार्यक्रम प्रगति पर है सर्वेक्षण कार्यक्रम के संपादन हेतु राज्य के सभी नगर निकायों यथा नगर निगम, नगर परिषद तथा नगर पंचायत को क्रमशः 1 लाख 50 हजार एवं 20 हजार प्रति नगर निकाय की दर से कुल-49,40,000=00 रुपये मात्र उपलब्ध करा दी गयी है। सर्वेक्षण का कार्य प्रगति पर है।

8. ऑपरेशन दखल-देहानी :

राज्य सरकार के द्वारा विभिन्न श्रेणी यथा गैरमजरूआ मालिक एवं गैरमजरूआ आम, अधिशेष भूमि, भूदान बिहार प्रश्रय प्राप्त रैयती गृह स्थल अधिनियम के अन्तर्गत एवं क्रय नीति से भूमि का वितरण किया गया है वैसे पर्चाधारियों को उनको आवंटित भूमि पर बेदखल की स्थिति में दखल कब्जा दिलाने के उद्देश्य से " ऑपरेशन भूमि दखल देहानी के नाम से बेदखल पर्चाधारियों को चिह्नित करने एवं उन्हें आवंटित भूमि पर दखल दिलाने का कार्यक्रम प्रारम्भ किया गया है। इस योजना अन्तर्गत पंचायतवार विशेष शिविरों का आयोजन कर बेदखली के मामलों का पता लगाने तथा पुलिस बल की मदद से बेदखल पर्चाधारियों को उनके आवंटित भूमि पर दखल दिलाने का कार्यक्रम चलाया जा रहा है। पर्चाधारियों एवं बेदखली के मामलों तथा शिविरों की तिथि/समय/स्थान की सूचना सम्बन्धित जिलों के वेबसाइट पर प्रकाशित की जा रही है। दिनांक-31 मार्च, 2015 तक सभी बेदखल हुए पर्चाधारियों को कब्जा दिलाने का लक्ष्य रखा गया है।

ऑपरेशन दखल देहानी अन्तर्गत बेदखली के मामलों को चिह्नित करने के लिए विशेष शिविरों का आयोजन लगातार सितम्बर, 2014 से किया जा रहा है। इन शिविरों के व्यापक प्रसार हेतु प्रति पंचायत 10,000/- की दर से कुल रु0 53.40 लाख रु0 मात्र का राशि जिलों को उपलब्ध करा दी गयी है। इन शिविरों में कुल 86216 बेदखली के मामले प्रकाश में आये हैं। जनवरी, 15 से पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार चिह्नित किये गये बेदखल पर्चाधारियों को उनको आवंटित भूमि पर दखल दिलाया जा रहा है।

25 मार्च 2015 तक 19086 बेदखल किये गये पर्चाधारियों को उनके आबंटित भूमि पर पुनः दखल दिलाया गया है।

9. बिहार भूमि न्यायाधिकरण :

1. बिहार भूमि न्यायाधिकरण का गठन बिहार भूमि न्यायाधिकरण अधिनियम, 2009 (बिहार अधिनियम-09, 2009) की धारा-4(1) के आलोक में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की अधिसूचना संख्या-8/विविध (पद सृजन)-24-06/11-298 (8)/रा0 दिनांक-02.04.2012 के द्वारा दिनांक-10.01.2012 के प्रभाव से निम्नलिखित को मिलाकर किया गया है :-

क. अध्यक्ष	1 (एक)
ख. प्रशासनिक पक्ष से सदस्य	2 (दो)
ग. न्यायिक पक्ष से सदस्य	2 (दो)

2- बिहार भूमि न्यायाधिकरण दिनांक-16.10.2012 से कार्यशील हुआ।

3- बिहार भूमि न्यायाधिकरण द्वारा निष्पादित वादों एवं अन्य का विवरण-

क्रमांक	वर्ष	दायर वादों की संख्या	निष्पादित वादों की संख्या
1	2012	23	19
2	2013	1009	412
3	2014-2015	1015	302
	कुल	2047	733

4- बिहार भूमि न्यायाधिकरण द्वारा फाइलिंग से आय 166025/-रूपये मात्र

5- बिहार भूमि न्यायाधिकरण द्वारा सर्टिफाईड कॉपी से आय-67360/-रूपये मात्र

10. भूमि विवाद निराकरण अधिनियम, 2009

भूमि विवाद निराकरण अधिनियम-के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिनियमों के तहत उठने वाले किसी विवाद के निराकरण में लागू होगी, क्योंकि उक्त अधिनियम में ऐसे विवादों को समाहित किया गया है और उनके समाधान के लिए मंच, प्रक्रिया तथा संयंत्र का प्रावधान किया गया है :-

1. बिहार भूमि सुधार अधिनियम, 1950
2. बिहार काश्तकारी अधिनियम, 1885

3. बिहार प्रश्रय प्राप्त व्यक्ति वासगीत काश्तकारी अधिनियम, 1947
4. बिहार भूदान यज्ञ अधिनियम, 1954
5. बिहार भूमि सुधार (अधिकतम सीमा निर्धारण एवं अधिशेष भू अर्जन) अधिनियम, 1961
6. बिहार जोत समेकन एवं खण्डकरण निवारण अधिनियम, 1956

सरकार द्वारा बन्दोबस्त की गयी जमीन से उत्पन्न विवाद, भूहदबंदी के अन्तर्गत अर्जित अधिशेष भूमि के वितरण से उत्पन्न विवाद, भूदान द्वारा उपलब्ध करायी गयी भूमि से उत्पन्न विवाद एवं सरकार द्वारा क्रय कर उपलब्ध करायी गयी जमीन से बेदखल किये जाने, सीमा बिवाद एवं रैयती भूमि से संबंधित विवादों के समाधान हेतु बिहार भूमि विवाद निराकरण अधिनियम, 2009 प्रभाव में लाया गया है। उक्त अधिनियम के तहत भूमि सुधार उप समाहर्ता के न्यायालय में वाद दायर किये जाते हैं जिसका निष्पादन उनके द्वारा 90 दिनों के अंदर किया जाता है। भूमि सुधार उप समाहर्ता द्वारा उक्त अधिनियम के तहत आदेश का अनुपालन अंचल अधिकारियों/थाना प्रभारियों के द्वारा संयुक्त रूप से किया जाता है जिसके तहत पीडित पक्षों को त्वरित न्याय प्राप्त हो रहा है। उक्त अधिनियम के अन्तर्गत भूमि सुधार उप समाहर्ता के आदेश से व्यथित पक्ष के द्वारा प्रमंडलीय आयुक्त के न्यायालय में अपीलवार दायर करने का प्रावधान निर्धारित है। उक्त अधिनियम के अन्तर्गत दायर वादों एवं निष्पादित वादों की स्थिति निम्नवत् है:-

1. अबतक दायर वादों की संख्या-67596
2. अबतक निष्पादित वादों की संख्या-58136

11. भूमि हस्तान्तरण के सम्बन्ध में :

वित्तीय वर्ष 2014-15 में अबतक विभिन्न विभागों/निगमों/केन्द्रीय संस्थानों को भूमि (निःशुल्क एवं शशुल्क) हस्तान्तरित एवं 30 वर्षीय लीज नवीकरण विकल्प के साथ दी गई है। वर्तमान वित्तीय वर्ष में कुल 44 भूमि हस्तान्तरण के मामले निष्पादित किए गए हैं। इसमें कुल 572 एकड़ 51 डी0 भूमि हस्तान्तरित किए गए हैं।

वित्तीय वर्ष 2014-15 में हस्तान्तरित / बन्दोबस्त सरकारी भूमि की विवरणी

क्र०	विभाग / उपक्रम जिन्हें भूमि हस्तान्तरित की गयी।	रकबा (एकड़) में	कुल रकबा
1	2	3	4
1	नार्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड, पटना	0.50	ऊर्जा विभाग को 178.85 एकड़
2	नार्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड, पटना	0.50	
3	नार्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड, पटना	0.60	
4	नार्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड, पटना	0.50	
5	नार्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड, पटना	51.00	
6	नार्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड, पटना	93.00	
7	साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड	0.50	
8	साउथ बिहार स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड, पटना	0.59	
9	साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड, पटना	0.50	
10	साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड, पटना	0.50	
11	साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड, पटना	0.50	
12	साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड, पटना	0.45	
13	साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड, पटना	0.50	
14	बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड, पटना	0.50	
15	बिहार स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड, पटना	1.00	
16	बिहार स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड, पटना	4.40	
17	बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड	5.00	
18	बिहार ग्रिड कम्पनी लि०, पटना	6.00	
19	बिहार ग्रिड कम्पनी लिमिटेड	5.94	
20	ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड	2.71	
21	कांटी बिजली उत्पादन निगम लि०, मुजफ्फरपुर	3.66	

21	कांटी बिजली उत्पादन निगम लि0, गुजप्परपुर	3.66	
22	आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार (आई0 डी0 ए0)	1.70	नगर विकास विभाग (आई0 डी0 ए0) को 33.98 एकड़
23	आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार (आई0 डी0 ए0)	11.45	
24	आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार (आई0 डी0 ए0)	1.62	
25	आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार (आई0 डी0 ए0)	19.205	
26	सैनिक श्री राजकान्त मिश्र	0.125	
27	सैनिक श्री सुरेश कुमार सिंह, कैमूर जिला	0.83	
28	श्रीमती गिरजा देवी, अनुसूचित जाति	0.03	
29	पर्यावरण एवं वन विभाग	12.30	
30	पर्यावरण एवं वन विभाग	146.77	पर्यावरण एवं वन विभाग को 152.85 एकड़
31	कला संस्कृति एवं युवा विभाग	6.05	
32	कला संस्कृति एवं युवा विभाग	7.79	कला संस्कृति एवं युवा विभाग को 13.84 एकड़
33	कला संस्कृति एवं युवा विभाग	5.69	
34	विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग	10.00	विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग को 17 00 एकड़
35	विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग	7.00	
36	गृह मंत्रालय, भारत सरकार	1.27	
37	गृह विभाग, बिहार	12.50	
38	ग्रामीण विकास विभाग	5.0004	ग्रामीण विकास विभाग को 8. 2504 एकड़
39	ग्रामीण विकास विभाग	3.25	
40	भारतीय स्टेट बैंक, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी	0.50	
41	बिहार वित्त सेवा गृह निर्माण सेवा सहयोग समिति	11.86	
42	केन्द्रीय विद्यालय संगठन नई दिल्ली (30 वर्षीय लीज नवीकरण विकल्प)	8.00	
43	नगर निवेश प्राधिकार, राजगीर	103.305	
44	शिक्षा विभाग	5.04	
कुल भूमि-		560.1354	
वित्तीय वर्ष, 2014-15 में 05 .02.15 तक 560 एकड़ 1354 डिसाइल भूमि विभिन्न विभागों/उद्यमों एवं अन्य को हस्तान्तरित किए गए हैं।			

12. राज्य के शहरी क्षेत्रों में सरकारी (लोक) भूमि की घेराबंदी :

1. सरकारी भूमि के लगातार हो रहे अतिक्रमण को रोकने एवं अतिक्रमण मुक्त कराकर सरकारी भूमि को सुरक्षित किए जाने हेतु इसकी घेराबंदी कराए जाने की आवश्यकता को देखते हुए इसके लिए वित्तीय वर्ष 2015-16 में 1.00 करोड़ (एक करोड़) ₹0 मात्र का बजट उपबंध प्रस्तावित है। यह कार्य भवन निर्माण विभाग द्वारा कराया जाना है।

13. दाखिल-खारिज

लोक सेवाओं के अधिकार अधिनियम, 2011 के तहत दाखिल खारिज से सम्बन्धित सभी आवेदन पत्र अंचल कार्यालय में संचालित RTPS काउन्टर पर प्राप्त किया जाता है एवं उसका निष्पादन उक्त अधिनियम के तहत निर्धारित अवधि यथा जिन मामलों में आपति आवेदन पत्र प्राप्त नहीं होते हैं का निष्पादन 15+3=18 दिनों में एवं जिन मामलों में आपति आवेदन पत्र प्राप्त होता है का निष्पादन 2 माह में किया जाता है। दाखिल-खारिजवादों के त्वरित निष्पादन सभी समाहर्ताओं को प्रत्येक मंगलवार को जिला के सभी अंचलों में राजस्व शिविरों का आयोजन किये जाने का आदेश दिया गया है जिसके आलोक में पांच पंचायतों की सीमा क्षेत्र के लिए प्रत्येक मंगलवार को राज्य के सभी अंचलों में राजस्व शिविरों का आयोजन किया जाता है जिसमें दाखिल खारिज के वैसेवादों जिसमें कोई आपति आवेदन पत्र प्राप्त नहीं होता है का निष्पादन शिविर में ही आवेदन प्राप्त होने की तिथि को किया जाता है। राजस्व शिविर में जिन मामलों में आपति आवेदन पत्र प्राप्त होता है वैसे मामलों का निष्पादन संबंधित पक्षों के द्वारा समर्पित साक्ष्यों की जांच कर अगले शिविर में किया जाता है। अभी तक कुल 3684 राजस्व शिविरों का आयोजन किया गया है, जिसमें कुल 1,40,075 दाखिल खारिज के प्राप्त आवेदन पत्रों के विरुद्ध 1,06,174 का निष्पादन शिविर में ही किया गया है। राजस्व शिविर का आयोजन पाँच पंचायतों के लिए एक स्थल पर किया जाता है, जहाँ दाखिल खारिजवादों के निष्पादन के साथ ही रैयतों को शुद्धि पत्र एवं लगान रसीद भी उपलब्ध करा दिया जाता है। उक्त शिविर में दाखिल खारिज के साथ ही अन्य राजस्व से संबंधित मामलों का निष्पादन भी किया जाता है।

वर्ष	लक्ष्य (रु करोड़)	प्राप्ति (रु करोड़ में)	प्राप्ति प्रतिशत
2010-11	112.00	139.19	124.27
2011-12	140.00	167.92	119.94
2012-13	185.00	206.07	111.35
2013-14	205.00	205.66	100.32
2014-15	250.00	221.49	88.60

राजस्व लगान की वसूली से सम्बन्धित विवरणी निम्नवत् है :

करोड़ की वसूली की गई है जो लक्ष्य का 88.60 प्रतिशत है।
 भूमिका अदा करता है। वर्ष 2014-15 में कुल माँग 250.00 करोड़ के विरुद्ध 221.49
 रसीद, भूमि संबंधी विवादों के निष्पादन एवं सामाजिक शांति बनाये रखने में भी अहम
 भूमिका की वसूली न सिर्फ राजस्व की दृष्टि से महत्वपूर्ण है बरन् लगान
 प्रतिवेदन।

भू-लगान, सस, सैरात एवं अन्य विविध मांग का लक्ष्य एवं उपलब्धि

15. भू-लगान:

वर्ष	सैरातों की संख्या	बन्दोबस्त सैरातों की संख्या	वसूली से प्राप्त राशि (रु लाख में)
2009-10	7928	4406	916.42
2010-11	6927	3368	946.11
2011-12	6903	3607	102.33
2012-13	6095	2743	109.33
2013-14	5888	3935	148.95
2014-15	6596	3964	134.98

सैरातों की बन्दोबस्ती से सम्बन्धित विवरणी निम्नवत् है :-

14. सैरात:

वर्ष	कुल दायर वादों की संख्या	निष्पादित वादों की संख्या
2009-10	927128	891618
2010-11	686494	642564
2011-12	833070	754402
2012-13	1768789	1177066
2013-14	1720696	1711482
2014-15	1494228	1378275

दाखिल-खारिज की वर्षवार उपलब्धि निम्न प्रकार है :

16. निलाम-पत्र वाद :

वर्ष 2008-09 में कुल 106.77 करोड़ रुपये की वसूली की गई। वर्ष 2009-10 में कुल 69.53 करोड़ रुपये की वसूली की गई। वर्ष 2010-11 में कुल 49.65 करोड़ रुपये की वसूली की गई। वर्ष 2011-12 में कुल 55.89 करोड़ रुपये की वसूली की गई। वर्ष 2012-13 में कुल 100.81 करोड़ रुपये की वसूली की गई। वर्ष 2013-2014 में कुल 188.77 करोड़ रुपये की वसूली की गयी। वर्ष 2014-15 में रु0 116.95 करोड़ रुपये की वसूली की गई।

17. बिहार राज्य मेला प्राधिकार के तत्वावधान में मेलों का आयोजन (2014-15):

वित्तीय वर्ष 2014-15 की अवधि में हाट, बाजार, कचहरी आदि के संरक्षण हेतु कुल उपबंधित राशि 5,88,17,000 /-रुपया है, जिसके विरुद्ध चालू वित्तीय वर्ष में निम्न मेला के आयोजनार्थ विभिन्न जिलों को उपलब्ध करायी गयी राशि की विवरणी निम्नवत् है :

क्र0	मेला / जिला का नाम	विमुक्त राशि
1	श्रावणी मेला, 2014, भागलपुर	5800000
2	श्रावणी मेला, 2014, बांका	3570000
3	श्रावणी मेला, 2014, मुंगेर	1800000
4	बाबा इन्द्रदमनेश्वर (अशोकधाम), श्रावणी मेला, 2014	1800000
5	श्रावणी मेला, 2014, जमुई	1000000
6	बाबा गरीबनाथ महादेव मंदिर, श्रावणी मेला, 2014	2300000
7	बाबा दूधनाथ महादेव मंदिर, श्रावणी मेला, 2014, मुजफ्फरपुर	1300000
8	बाबा हरिगिरीधाम, श्रावणी मेला, 2014, बेगुसराय	1800000
9	अरराज, श्रावणी मेला, 2014, पूर्वी चम्पारण	230000
10	पितृपक्ष मेला-2013 का बकाया -गया	1424112
11	पितृपक्ष मेला-2014 -गया	5400000

12	सिमरिया मेला 2003-04 एवं 2004-05 का बकाया	188000
13	देव कार्तिक छठ मेला-2013-2014 औरंगाबाद	1500000
14	पितृपक्ष मेला-2014-पुनपुन, पटना	1500000
15	बाबा हरिगिरिधाम श्रावणी मेला का अतिरिक्त राशि बेगुसराय	2000000
16	बाबा केवल स्थान मेला-2014-समस्तीपुर	2000000
17	चौहरमल मेला 2014-बाढ़	2500000
18	सिंहेश्रवर महाशिवरात्रि मेला 2014-मधेपुरा	484585
19	सिमरिया मेला बेगुसराय 2013-2014	2200000
20	बाबा हरिगिरिधाम मंदिर कार्तिक पूर्णिमा बेगुसराय-2014	800000
21	सिंहेश्रवर महाशिवरात्रि मेला मधेपुरा 2015	500000
22	बौसी मेला बांका 2015	250000
	कुल	40346697

18. भू-अर्जन :

वित्तीय वर्ष 2015-16 में अधियाचित विभाग/प्राधिकार से प्राप्त होने वाले अधियाचना के आधार पर विभिन्न केन्द्रीय एवं राजकीय परियोजनाओं हेतु भू-अर्जन के महत्वपूर्ण कार्यक्रम की विवरणी :

1. जिला मुख्यालय/अनुमंडल मुख्यालय एवं प्रखंड मुख्यालय स्तर पर लैंड बैंक योजना
2. केन्द्रीय विश्वविद्यालय, मोतिहारी (पूर्वी चम्पारण)
3. जोगवनी से विराट नगर भारत - नेपाल नई रेल लाईन
4. जयनगर - बिजलपुरा-वर्दीदास-भारत-नेपाल नई रेल लाईन
5. अररिया - गलगलिया नई रेल लाईन
6. बिहटा - औरंगाबाद नई रेल लाईन
7. गया - चतरा नई रेल लाईन
8. हाजीपुर - रामदयालुनगर रेलवे लाईन दोहरीकरण
9. रेल बैगन कारखाना, सारण

10. बिहटा- सरमेरा राज्य उच्च पथ (एस0एच0-78)
11. रून्नीसैदपुर-बिसवा राज्य उच्च पथ (एस0एच0-87)
12. भारत-नेपाल सीमा पथ
13. ग्रामीण क्षेत्रों में सम्पर्क सड़क योजना
14. एस0एस0बी0, बटालियन हेडक्वार्टर, सीतामढ़ी
15. एस0एस0बी0, बी0ओ0पी0, पूर्वी चम्पारण
16. एस0एस0बी0, बी0ओ0पी0, सीतामढ़ी
17. एस0एस0बी0, बी0ओ0पी0, किशनगंज
18. एस0एस0बी0, बी0ओ0पी0, मधुबनी
19. एस0एस0बी0, बी0ओ0पी0, पश्चिम चम्पारण
20. एन0 एच0 ए0 आई0 की महत्वपूर्ण परियोजनाएँ- एन0एच0-30 ए0,
एन0एच0-31, एन0एच0-80, एन0एच0-82, एन0 एच0-98, एन0 एच0-104,
एन0 एच0-106, एन0 एच0-107, इत्यादि।

19. भू-अभिलेखों का अद्यतनीकरण (विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त कार्यक्रम)

इस योजनान्तर्गत कैडस्ट्रल सर्वेक्षण द्वारा तैयार किए गए भू-अभिलेखों को अद्यतन करते हुए भूमि का पूर्ण सर्वेक्षण तथा खतियान का प्रकाशन तथा लगान निर्धारण करना मुख्य उद्देश्य है। लगान निर्धारण के फलस्वरूप सरकार के राजस्व में बढ़ोतरी होती है। यह एक जन कल्याणकारी योजना है, जिसमें रैयतों के हितों की रक्षा की जाती है। इस उद्देश्य की प्राप्ति तथा भू-अभिलेखों के अद्यतनीकरण कार्य हेतु बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त अधिनियम, 2011 अधिनियमित किया गया है। बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त नियमावली, 2012 आधुनिक तकनीक के उपयोग से अद्यतन सर्वे मानचित्र के निर्माण का प्रावधान किया गया है।

केन्द्र प्रायोजित योजना (राष्ट्रीय भू-अभिलेख प्रबंधन कार्यक्रम) (NLRMP):

(i) डाटा केन्द्र-सह-आधुनिक अभिलेखागार :

आधुनिक तकनीक से तैयार किए गए री-सर्वे मानचित्र तथा खतियान के डाटा का प्रत्येक अंचल में संधारण तथा समय समय पर अद्यतनीकरण करते हुए भू-धारियों को भू-अभिलेखों की आपूर्ति कराया जाना है। भवन निर्माण कार्य हेतु राज्य योजना मद से

30.65 लाख रुपये प्रति अंचल तथा आधुनिक उपकरणों के क्रय हेतु भारत सरकार द्वारा 12.50 लाख रुपये प्रति अंचल की दर से राशि विमुक्त की जाती है। कुल स्वीकृति 23042.10 लाख रुपये की है।

भू-अभिलेखों का मुख्य स्रोत अंचल कार्यालय है। आधुनिक तकनीक से तैयार किए गए री-सर्वे मानचित्र तथा अद्यतन खतियान का उचित संधारण तथा समय समय पर अद्यतीकरण करते हुए भू-धारियों को इसकी आपूर्ति के कार्य हेतु आधुनिक उपकरणों की आवश्यकता होगी। इन आधुनिक उपकरणों को प्रत्येक डाटा केन्द्र सह आधुनिक अभिलेखागार में स्थापित कराया जा रहा है। राज्य के सभी 534 अंचलों में भवन निर्माण कार्य हेतु प्रशासनिक स्वीकृति भवन निर्माण विभाग को उपलब्ध करा दी गयी है। अभी तक 143 अंचलों में भवन निर्माण कार्य पूरा कर लिया गया है तथा 80 अंचलों में आधुनिक उपकरण बेलट्रॉन द्वारा स्थापित किया जा चुका है, तथा इसके अतिरिक्त 60 अंचलों में आधुनिक उपकरण बेलट्रान द्वारा आपूर्ति किए जा चुके हैं।

(ii) सर्वे मानचित्रों का डिजिटাইजेशन :

वर्षों पूर्व कागज पर तैयार किए गए राजस्व मानचित्रों को नष्ट होने से बचाने तथा खतियान के साथ Integrate करने के लिए सॉफ्ट कॉपी में मानचित्रों का संधारण किया जाता है।

इस योजना के अंतर्गत सर्वप्रथम राज्य के सभी 38 जिलों का कैंडस्ट्रल एवं रिविजनल मानचित्रों का डिजिटাইजेशन कार्य पूरा कर लिया गया है। "बिहार सर्वेक्षण कार्यालय, गुलजारबाग से राज्य के सभी जिलों के राजस्व मानचित्रों की ऑनलाईन आपूर्ति का कार्य प्रारंभ हो चुका है नालंदा, पटना, भोजपुर, बक्सर, कैमूर एवं मधेपुरा सदर अंचल कार्यालय से संबंधित जिला के सभी अंचलों के राजस्व मानचित्रों की ऑनलाईन आपूर्ति का कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। मार्च, 2015 तक सभी जिलों के सदर अंचल कार्यालय से ऑनलाईन आपूर्ति का कार्य प्रारंभ करने का लक्ष्य है।

(iii) री-सर्वे :

बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त अधिनियम, 2011 के प्रावधानों के आलोक में हवाई फोटोग्राफी एवं जमीनी सत्यापन की संकर प्रणाली के माध्यम से री-सर्वे मानचित्र तैयार कराया जा रहा है। अद्यतन री-सर्वे मानचित्र के आधार पर बंदोबस्त कार्यालयों द्वारा अद्यतन खतियान तैयार किया जा रहा है। आधुनिक तकनीक से री-सर्वे कार्यक्रम के अन्तर्गत नालन्दा, शेखपुरा, बेगुसराय, लखीसराय, खगड़िया, अररिया, कटिहार, किशनगंज, पूर्णियाँ, सहरसा, सुपौल तथा मधेपुरा जिला का हवाई फोटोग्राफी से डाटा संकलित कर लिया गया

है। वर्तमान में नालन्दा, शेखपुरा, बेगुसराय, खगड़िया तथा लखीसराय जिला के राजस्व ग्रामों के री-सर्वे मानचित्र का सत्यापन कार्य पुरा करते हुए खानापुरी प्रक्रम का कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। नालन्दा जिला के 08 राजस्व ग्रामों का मानचित्र अंतिम प्रकाशन हेतु तैयार है तथा सैदपुर राजस्व ग्राम का अंतिम प्रकाशन का कार्य पुरा कर लिया गया है।

(iv) प्रशिक्षण कार्यक्रम :

भू-अभिलेखों के अद्यतीकरण कार्य हेतु संबंधित पदाधिकारियों/कर्मचारियों को आधुनिक तकनीक/उपकरणों का प्रशिक्षण देते हुए क्षमता वृद्धि करना है।

आधुनिक उपकरणों के क्रय हेतु भारत सरकार द्वारा 196.07 लाख रुपये के व्यय की स्वीकृति प्रदान की गयी है। भवन निर्माण का कार्य राज्य योजना मद की राशि से किया गया है।

विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त कार्यक्रम में भू-अभिलेखों के अद्यतीकरण कार्य हेतु आधुनिक तकनीक का उपयोग किया जा रहा है। इसके अंतर्गत भूमि की मापी में ई0टी0एस0/डी0जी0पी0एस0 तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। इसी प्रकार राजस्व मानचित्रों में प्लॉट विभाजन के लिए सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है। अतएव यह आवश्यक है कि बंदोबस्त कार्यालय एवं अन्य राजस्व अधिकारियों/कर्मचारियों को व्यापक प्रशिक्षण देते हुए उनकी क्षमता वृद्धि की जाए ताकि भूमि प्रबंधन व्यवस्था को प्रभावशाली ढंग से लागू किया जा सके। वर्तमान में प्राथमिकता के आधार पर सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारियों/अंचलाधिकारियों/कानूनगों/अमीन को आधुनिक उपकरणों का प्रशिक्षण दिया गया है। राज्य स्तरीय प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना हेतु राजस्व (सर्वे) प्रशिक्षण संस्थान शास्त्रीनगर पटना के भवन का निर्माण कार्य पुरा करा लिया गया है।

इस प्रशिक्षण केन्द्र में भारत सरकार द्वारा विमुक्त शत प्रतिशत केन्द्रीय अनुदान की राशि से आधुनिक उपकरण तथा कम्प्यूटर हार्डवेयर स्थापित कराया जा रहा है।

(v) डाटा इंट्री/री-इंट्री/डाटा कनवर्जन :

राज्य के प्रत्येक भू-धारी के अद्यतन चालू खतियान का निर्माण एवं कम्प्यूटरीकरण करते हुए विभागीय वेबसाईट पर डाटा का प्रकाशन तथा सुविधा केन्द्रों से रैयतों/किसानों को खतियान की आपूर्ति सुनिश्चित की जाती है।

इस कार्य हेतु एन0आई0सी0, पटना द्वारा "भू-अभिलेख-2" नाम से सॉफ्टवेयर विकसित कर राज्य के सभी जिलों को उपलब्ध करा दिया गया है। सॉफ्टवेयर खतियान के 14 कॉलम के प्रपत्र पर आधारित है। अभी तक दरभंगा, मधुबनी, किशनगंज, अररिया, मधेपुरा, नालन्दा, भोजपुर, बक्सर, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, रोहतास, कैमूर, बेगुसराय एवं पटना (अंशिक रूप से) जिला का चालू खतियान विभागीय वेबसाईट

पर प्रकाशित किया जा चुका है। शेष जिलों के लिए मार्च, 2015 तक का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

भू-अभिलेखों की ऑनलाईन आपूर्ति तथा समय समय पर किए जाने वाले अद्यतीकरण कार्य के लिए जिला, अनुमंडल एवं अंचल स्तर के कार्यालयों में कम्प्यूटर हार्डवेयर स्थापित किया गया है।

भू-अभिलेखों का मुख्य स्रोत अंचल कार्यालय है। अतएव अंचल कार्यालय द्वारा अद्यतन किए गए भू-अभिलेख डाटा के ऑनलाईन उपयोग हेतु अनुमंडल एवं अंचलस्तरीय कार्यालयों के बीच अन्तःसम्बद्धीकरण (Interconnectivity) का लक्ष्य रखा गया है।

कुल 534 अंचल के अंतर्गत 531 डाटा इंट्री ऑपरेटर नियुक्त किए गए हैं। साथ ही 515 अंचलों में हार्डवेयर स्थापित किया गया है। इस निमित्त 495 अंचलों के अंतर्गत नेटवर्किंग की सुविधा उपलब्ध है।

20. (क) अंचल निरीक्षक एवं समकक्ष ग्रेड के पद पर नियुक्ति :

(i) राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अन्तर्गत राजस्व कर्मचारी से अंचल निरीक्षक एवं समकक्ष ग्रेड के पदों पर सीमित प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर कुल 100 रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु अनुसंशा बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा भेजी गयी है। विभाग द्वारा नियुक्ति की कार्रवाई की जा रही है।

(ख) राजस्व कर्मचारी संवर्ग के पद पर नियुक्ति

पूर्व में दो या दो से अधिक पंचायतों को मिलाकर एक राजस्व हल्का सृजित था। राजस्व प्रशासन को सुदृढ़ करने एवं आम लोगों की सुविधा हेतु राज्य के सभी पंचायतों को राजस्व हल्का के रूप में अधिसूचित कर दिया गया है। पूर्व में राज्य में कुल-4045 राजस्व हल्का था। पंचायतों को राजस्व हल्का का दर्जा दिये जाने के फलस्वरूप वर्तमान में राज्य में राजस्व हल्कों की कुल संख्या-8463 हो गयी है, जिसके कारण राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अन्तर्गत राजस्व कर्मचारी संवर्ग के 4353 रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु अधियाचना बिहार कर्मचारी चयन आयोग को भेजी गयी है। आयोग से अनुसंशा प्राप्त होते ही राजस्व कर्मचारी के रिक्त पदों पर विभाग द्वारा नियुक्ति की कार्रवाई की जायेगी।

(ग) अमीन संवर्ग के पद पर नियुक्ति

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अन्तर्गत अमीन संवर्ग के कुल 721 रिक्त पदों (जिला उप संवर्ग के 389 पद, भू-अभिलेख एवं परिमाण उप संवर्ग के 35 पद एवं चकबंदी निदेशालय के उप संवर्ग के 297 पद) पर नियुक्ति हेतु अधियाचना बिहार कर्मचारी चयन आयोग को भेजी गयी थी। जिसके विरुद्ध कुल 820 अभ्यर्थियों की अनुसंशा सूची प्राप्त हुई। अनुसंशा सूची में

अंकित अभ्यर्थियों के कॉन्सेलिंग के क्रम में यह पाया गया कि तीन अभ्यर्थियों के अतिरिक्त अन्य सभी अनुशंसा सूची में अंकित अभ्यर्थियों का अमानत प्रशिक्षण से संबंधित प्रमाण-पत्र राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से नहीं है। जिसके कारण उनकी नियुक्ति रांगव नहीं हो सकी है। पुनः अमीन के रिक्त पर नियुक्ति हेतु अनुशंसा सूची उपलब्ध कराने के उद्देश्य से अध्याचना बिहार कर्मचारी चयन आयोग को भेजी जा रही है।

21. चकबन्दी

जोतों की चकबन्दी कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्तमान में राज्य के 5 जिलों के निम्नलिखित कुल 39 अंचलों में सक्रिय रूप से कार्य जारी है –

भोजपुर	बक्सर	कैमूर	रोहतास	गोपालगंज
1. पीरो	1. डुमरांव	1. मोहनिया	1. सासाराम	1. कटैया
2. संदेश	2. ब्रह्मपुर	2. भभूआ	2. डिहरी	
3. चरपोखरी	3. ईटाढ़ी	3. चांद	3. नासरीगंज	
4. बिहीया	4. सिमरी	4. भगवानपुर	4. काराकाट	
5. बड़हरा	5. नावानगर	5. दुगावर्ती	5. विक्रमगंज	
6. उदवन्तनगर	6. बक्सर सदर	6. चैनपुर	6. दिनारा	
7. शाहपुर	7. राजपुर	7. रामगढ़	7. करगहर	
8. कोईलवर		8. कुदरा	8. शिवसागर	
9. सहार			9. चेनरी	
10. तरारी			10. नोखा	
11. जगदीशपुर			11. दावथ	
12. आरा सदर				

वर्ष, 2015-16 में 150 ग्रामों में चकबन्दी कार्य पूर्ण कर उन्हें चकबन्दी अधिनियम की धारा-26 (क) के अन्तर्गत अनाधिसूचित करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके अन्तर्गत विभिन्न सम्वर्गों के कुल 252 कर्मियों का नियोजन संविदा के आधार पर किया जा चुका है। वित्तीय वर्ष 2014-15 में 26 ग्रामों में चकबन्दी कार्य पूर्ण कर अधिनियम की धारा 26 (क) के अन्तर्गत अनाधिसूचित कर दिया गया है। वित्तीय वर्ष 2015-16 हेतु 1400 लाख रुपये का बजट उपबंध प्रस्तावित है।

22. बिहार लोक सेवाओं का अधिकार :

बिहार लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम के सफल कार्यान्वयन हेतु आकस्मिक व्यय के लिए राशि की आवश्यकता होगी। उक्त राशि से बिहार लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम, 2011 के कार्यान्वयन हेतु डिसप्ले बोर्ड का अधिष्ठापन/स्टेशनरी आदि पर व्यय/जेनरेटर के ईंधन पर व्यय/क्षेत्रीय कार्यालयों/जिला कार्यालयों पर व्यय किया जायेगा।

लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा दो सेवा उपलब्ध कराये जाते हैं, जिनकी समय सीमा निम्नवत् है :-

क्र०	सेवा का नाम		नामनिर्दिष्ट लोक सेवक	सेवा हेतु समय सीमा
1	2	3	4	5
1	दाखिल-खारिज	दाखिल-खारिज वादों का निष्पादन		
		(क) आपत्ति रहित वाद	अंचलाधिकारी	18 कार्य दिवस
		(ख) वाद, जिनमें आपत्ति दाखिल की गयी हो	अंचलाधिकारी	60 कार्य दिवस
		(ग) अंतिम आदेश की तिथि के प्रभाव से संशोधन पर्ची का निर्गमन	अंचलाधिकारी	3 कार्य दिवस
	शिविर	दाखिल खारिज वादों का निष्पादन	अंचलाधिकारी	15 कार्य दिवस
		(क) आपत्ति रहित वाद		
		(ख) आपत्ति विहीन वाद में संशोधन पर्ची का निर्गमन	अंचलाधिकारी	आदेश की तिथि से 03 कार्य दिवस
		(ग) आपत्ति युक्त वाद	अंचलाधिकारी	60 दिवस
		(घ) आपत्ति युक्त वाद संशोधन पर्ची का निर्गमन	अंचलाधिकारी	आदेश की तिथि से 03 कार्य दिवस
2	भूमि धारण (पोजेशन) प्रमाण-पत्र	लैंड पोजेशन सर्टिफिकेट का निर्गमन	अंचलाधिकारी	10 कार्य दिवस

23. भू-दान :

राज्य अन्तर्गत भू-दान से प्राप्त भूमि का वितरण बिहार भू-दान यज्ञ कमिटी के माध्यम से किया जाता है। राज्य में भूदान से प्राप्त कुल भूमि 6,48,593.14 (छः लाख अड़तालीस हजार पाँच सौ तिरानवे दशमलव एक चार) एकड़ में से 345380.88 (तीन लाख पैंतालीस हजार तीन सौ अस्सी दशमलव आठ-आठ) एकड़ भूमि सम्पुष्ट की गयी है। अभी तक 256392.39 (दो लाख छप्पन हजार तीन सौ वानवे दशमलव तीन नौ) एकड़ भूमि वितरित की जा चुकी है। वितरण के योग्य शेष बची हुई 6055.09 (छः हजार पचपन दशमलव शून्य नौ) एकड़ भूमि के वितरण का कार्य कमिटी द्वारा किया जा रहा है। बिहार भूदान यज्ञ कमिटी को राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ष अनुदान उपलब्ध कराया जाता है, जिससे भूदान भूमि के वितरण एवं इससे जुड़े अन्य कार्यों पर व्यय की प्रतिपूर्ति होती है। वर्ष 2015-16 में भूदान यज्ञ कमिटी के लिए सहाय्य अनुदान हेतु 1,58,16,000 (एक करोड़ अठावन लाख सोलह हजार) रुपये मात्र का बजट उपबंध प्रस्तावित है।

भूदान से प्राप्त भूमि	सम्पुष्ट भूमि	वितरण में अयोग्य	वितरित भूमि	एकड़ में
				अवितरित शेष भूमि
648593.14	345386.88	386145.66	2563392.39	6033.09

24. कृषि गणना प्रक्षेत्र :

कृषि गणना केन्द्रीय प्रक्षेत्र की योजना स्कीम है जिसके अन्तर्गत ऑपरेशनल होल्लिंग के विभिन्न आकार वर्गों में कृषि अर्थव्यवस्था के विभिन्न पहलुओं यथा भू-उपयोग, सिंचाई की स्थिति, फसल प्रतिमान आदि पर आँकड़े संकलित किये जाते हैं, जो कृषि विकास कार्यक्रमों के निर्माण एवं उनकी प्रगति के मूल्यांकन के लिए उपयोगी है।

राज्य में कृषि गणना 2010-11 का कार्यान्वयन किया जा रहा है। इस योजना के प्रथम एवं द्वितीय चरण का कार्य संपन्न हो चुका है। सम्प्रति राज्य में तृतीय चरण यथा आदान सर्वेक्षण का क्षेत्रीय कार्य चल रहा है।

केन्द्रीय प्रक्षेत्र की शत प्रतिशत योजना, कृषि गणना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2014-15 में स्थापना एवं अन्य व्यय हेतु कुल-598.34 लाख राशि का उपबंध है, जिसके विरुद्ध कुल-32.79 लाख राशि का व्यय हो चुका है। प्रथम एवं द्वितीय चरण के कार्य में संलग्न प्राथमिक कार्यकर्ताओं के मानदेय भुगतान हेतु 536.92 लाख राशि के व्यय की स्वीकृति हो चुकी है।

25. विभागीय मुख्यालय कार्यालय कक्षों / प्रकोष्ठों का आधुनिकीकरण :

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, पटना के कार्यालयों एवं प्रकोष्ठों तथा बुद्ध मार्ग पटना स्थित यकबंदी निदेशालय के कार्यालय के आधुनिकीकरण मद में रुपये 2,00,00,000/- (दो करोड़) का बजट उपबंध है जिसे भवन निर्माण विभाग के व्यय शीर्ष-2059 के अंतर्गत माँग संख्या-03 के अंतर्गत प्रावधानित करते हुए आधुनिकीकरण का कार्य सम्पादन कराया जा रहा है।

वर्तमान वित्तीय वर्ष 2015-16 में इस कार्य को पूर्ण करने का लक्ष्य निर्धारित है।

26. क्षमता वर्द्धन :

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में क्षमतावर्द्धन योजना अन्तर्गत विभागीय/क्षेत्रीय पदाधिकारियों के कौशल में वृद्धि हेतु राजस्व सेवा संवर्ग के पदाधिकारियों का विभिन्न चरणों में चार दिवसीय प्रशिक्षण का आयोजन अनुग्रह नारायण सिन्हा, समाज अध्ययन संस्थान, पटना में किया जा रहा है। जिसके तहत अभी तक राज्य के सभी भूमि सुधार उप समाहर्ताओं को तीन चरणों में अनुग्रह नारायण सिन्हा समाज अध्ययन संस्थान, पटना में राजस्व विषयों की चार दिवसीय प्रशिक्षण दिया गया है।

राज्य के अभी तक कुल 240 अंचल अधिकारियों को अनुग्रह नारायण सिन्हा समाज अध्ययन संस्थान, पटना में चार दिवसीय प्रशिक्षण दिया गया है। प्रशिक्षण अवधि में प्रशिक्षुओं को उनकी विभागीय आवश्यकता के अनुरूप राजस्व से संबंधित सभी विषयों का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। शेष अंचल अधिकारी एवं अपर समाहर्ताओं का प्रशिक्षण कार्यक्रम अनुग्रह नारायण सिन्हा समाज अध्ययन संस्थान, पटना में माह अप्रैल, 15 में आयोजित किया जाना प्रस्तावित है।

उक्त के अतिरिक्त वर्ष 2014 में नियुक्त 208 अंचल निरीक्षकों के तीन माह का राजस्व एवं अन्य विषयों का प्रशिक्षण विपार्ड, वाल्मी में दिया जा रहा है। अभी तक एक सत्र पूर्ण किया गया है, जिसमें 50 अंचल निरीक्षकों को प्रशिक्षित किया जा चुका है। दिनांक-19.02.15 से द्वितीय सत्र प्रारंभ किया गया है जिसमें 50 अंचल निरीक्षक, विपार्ड, वाल्मी में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। उपलब्ध कराये गये प्रशिक्षण कार्यक्रम का विवरण निम्नवत् है :

क्र०	प्रशिक्षण केन्द्र का नाम	किस ग्रेड के पदाधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है / दिया गया है।	कितने सत्र में	संख्या
1	2	3	4	5
1	विपार्ड	अंचल निरीक्षक, (तीन माह)	एक सत्र में।	50 पूर्ण
2	विपार्ड	अंचल निरीक्षक, (तीन माह)	एक सत्र में।	50- दिनांक-19.02.15 से संचालित किया जा रहा है।
3	अनुग्रह नारायण सिन्हा समाज अध्ययन संस्थान, पटना	भूमि सुधार उप समाहर्ता (चार दिवसीये)	तीन सत्र में।	101
4	अनुग्रह नारायण सिन्हा समाज अध्ययन संस्थान, पटना	अंचलाधिकारी (चार दिवसीये)	छः सत्र में।	240 प्रशिक्षण। पूर्ण।

चालू सत्र की समाप्ति के पश्चात् अन्य अंचल निरीक्षक के प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन विपार्ड, वाल्मी में किया जाएगा।

वित्तीय वर्ष 2015-16 में इस योजना के तहत राज्य के चौमुखी विकास हेतु सभी राजस्व सेवा संवर्ग के पदाधिकारियों/कर्मियों के कौशल वृद्धि हेतु प्रशिक्षण चलाने का कार्यक्रम है तथा इस कार्यक्रम हेतु 1,00,00,000/- (एक करोड़) का बजट उपबंध राज्य योजनान्तर्गत प्रस्तावित है।

27. वित्तीय वर्ष 2015-16 में कार्यान्वयन हेतु प्रस्तावित योजनाओं तथा एतदर्थ कर्णांकित राशि की जानकारी आपके माध्यम से सदन को देना चाहूँगा।

क्र०	योजना का नाम	उद्व्यय (रु० लाख में)
1.	भू-अभिलेख का अद्यतीकरण	7650.31
2.	जोतों की चकबंदी	1400.00
3	भूमि सुधार उप समाहर्ताओं के न्यायालय कक्ष/कार्यालय निर्माण की योजना	100
4.	कार्यालय विस्तार, आधारभूत संरचना, विकासात्मक एवं कल्याणकारी लोक प्रयोजन के लिए सभी जिला मुख्यालयों/अनुमंडल मुख्यालयों/प्रखण्ड मुख्यालयों में भूमि बैंक योजना	01

5.	सरकारी भूमि की घेरा बंदी	100
6.	विभागीय मुख्यालय कार्यालय/ प्रकोष्ठ का आधुनिकीकरण के मद में	200
7.	क्षमता वर्द्धन मद में	100
8.	टी0एस0पी0 योजना के अन्तर्गत गृह विहीनों के लिए वास भूमि	146.15
9.	बिहार गृह स्थल क्रय नीति-2011 के अन्तर्गत सुयोग्य श्रेणी के गृह विहिनों परिवारों के लिए गृह निर्माण हेतु	334.27
10.	सम्पर्क सड़क	550
11.	महादलित विकास योजना	2625.10
12.	बिहार भूमि न्यायाधिकरण परिसर में न्यायालय कक्ष/भवन निर्माण	120.00
	कुल योग	13326.83

गैर योजना एवं योजना मद में प्रस्तावित राशि की विवरणी निम्न प्रकार है।

(क)	गैर योजना मद में प्रस्तावित राशि	-	6,08,87,80,000	(छः अरब आठ करोड़ सत्तासी लाख अस्सी हजार)
(ख)	राज्य योजना	-	1,04,13,83,000	(एक अरब चार करोड़ तेरह लाख तेरासी हजार)
(ग)	केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना	-	0	(शून्य)
(घ)	केन्द्रीय योजनागत योजना	-	1,27,30,000	(एक करोड़ सत्ताईस लाख तीस हजार)
	कुल योग	-	7,14,28,93,000	(सात अरब चौदह करोड़ अठाईस लाख तेरानवे हजार)

इस प्रकार राजस्व प्रशासन के द्वारा समयबद्ध कार्यक्रम बनाकर निर्धारित समय सीमा के अंदर उपलब्धियों को प्राप्त करने की कार्रवाई की जा रही है। हमे आशा है कि अपने इस प्रयास में लक्ष्य के अनुरूप ही नहीं बल्कि उस से अधिक सफलता प्राप्त करेंगे।

माननीय अध्यक्ष महोदय,

मैं प्रस्ताव करता हूँ कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के सम्बन्ध में 31 मार्च 2016 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा उसकी पूर्ति के लिए रुपये 7142893000 (सात अरब चौदह करोड़ अठाईस लाख तेरानवे हजार) से अनाधिक राशि प्रदान की जाय।

धन्यवाद !

